भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1419

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रशुल्क वृद्धि

1419. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिकी सरकार द्वारा भारत से आने वाली वस्तुओं पर घोषित 26 प्रतिशत प्रशुल्क वृद्धि का भारतीय समुद्री खाद्य के निर्यात पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अमेरिका को भारतीय समुद्री खाद्य के निर्यात पर इसका प्रभाव इस बात को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण होगा कि भारत अमेरिका को समुद्री खाद्य का सबसे बड़ा निर्यातक है और अमेरिकी बाजार में इसकी हिस्सेदारी 35 प्रतिशत हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरीका को समुद्री खाद्य के निर्यात में भारत के निकटतम प्रतिद्वंदी, इक्वाडोर पर 10 प्रतिशत प्रशुल्क लगाया गया है और 17 प्रतिशत प्रशुल्क का यह अंतर भारतीय समुद्री खाद्य व्यवसाय के लिए चिंता का कारण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भारतीय समुद्री खाद्य संबंधी व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) हालाँकि अमेरिका ने समुद्री खाद्य सहित कुछ भारतीय निर्यातों पर 26% का पारस्परिक प्रशुल्क लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में, अमेरिका ने भारत और इक्वाडोर से आयात सहित, उतपत्ति राष्ट्र पर विचार किए बिना समुद्री खाद्य आयात पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। वर्ष 2024 के दौरान, अमेरिका के कुल समुद्री खाद्य आयात में भारत की हिस्सेदारी 26.5% थी। (स्रोत: आईटीसी ट्रेडमैप)

भारत सरकार सतत राजनयिक सहभागिता और नीतिगत सहयोग के माध्यम से अपने समुद्री खाद्य व्यवसाय को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर वार्ता मार्च 2025 में शुरू हुई थी। वार्ता के पाँच दौर हो चुके हैं, जिनमें से अंतिम दौर दिनांक 14-18 जुलाई, 2025 को वाशिंगटन डीसी में हुआ था।

****